तीस साल पहले सर्वशक्तिमान विश्वबैंक से उसकी अनुमोदित परियोजना की समीक्षा करने और एक शिकायत तंत्र विकसित करने का आग्रह करना लगभग असंभव था, लेकिन उसी की आर्थिक मदद से नर्मदा पर बनाई जा रही 'सरदार सरोवर परियोजना' के खिलाफ'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (एनबीए) ने ठीक ऐसा ही किया था। अपने संघर्ष के जरिए एनबीए ने विश्वबैंक पर बांध परियोजना की समीक्षा के लिए दबाव बनाया और 1991 में हुई समीक्षा के नतीजे में दो साल बाद बैंक परियोजना से हट गया था। दुनियाभर में बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं से उसके हटने का यह पहला मामला था।

महिलाओं के लिए खास कानून

1.घरेलू हिंसा रोकथाम कानून

घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी महिला अगर अपने पति या पति के परिवारवालों से प्रताड़ित हो रही है, तो वो घरेलू हिंसा के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है. महिला की तरफ से कोई भी हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है.

2.वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून

यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है. केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी.

3. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार

भ्रूण हत्या का मतलब है, जन्म से पहले ही होने वाले बच्चे की हत्या कर देना. कई मामलों में गर्भ में पल रही लड़कियों को मार दिया जाता है. एक महिला को जीने का अधिकार देने के लिए लिंग की जांच और उसकी हत्या के खिलाफ कानून बनाया गया है.

गर्भाधान और प्रसव से पहले लिंग की पहचान कराने वाले टेस्ट (लिंग चयन) पर रोक है. अधिनियम (PCP-NDT) कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है.

4. नाम सार्वजनिक न करने या छुपाने का अधिकार

यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा आधिकार है. ऐसे मामलों में कोई महिला, किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने मामला दर्ज करा सकती है.

कई बार रेप की शिकार महिलाएं पुलिस की जांच, मुकदमे से होने वाली बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं. हाल ही में सरकार ने नए नियम लागू किए हैं

5. रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है.

बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है. उसे जमानत से जुड़े उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए. साथ ही गिरफ्तार महिला के नजदीकी रिश्तेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है.

6. समान वेतन का अधिकार

समान वेतन अधिनियम,1976 में एक ही तरीके के काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है. अगर कोई महिला किसी पुरुष के बराबर ही काम कर रही है, तो उसे पुरुष से कम वेतन नहीं दिया जा सकता.

7. मातृत्व संबंधी अधिकार

मातृत्व लाभ अधिनियम,1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है. मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव ले सकती है. इस दौरान महिला के सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाती है.

8. गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार

किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है, तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही की जानी चाहिए.

9. मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार

रेप की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है. पुलिस थानाध्यक्ष के लिए ये जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे.

10. संपत्ति पर अधिकार

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष, दोनों का बराबर हक है.

पिता की संपत्ति पर अधिकार

भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है. अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाइयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा. यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा.

पति की संपत्ति से जुड़े हक

शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए. पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत न होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है. शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं.

11. पति-पत्नी में न बने तो

अगर पति-पत्नी साथ न रहना चाहें, तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है. अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए, तब हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है.

12. मुफ्त कानूनी मदद लेने का हक

अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है, तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद नि:शुल्क है. वह अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है. यह केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति वाली महिला के लिए है. पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता समिति से संपर्क करती है, जो कि महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करती है.

कहां करें शिकायत

क्राइम अगेंस्ट वुमन सेल के अलावा 100 नंबर या महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कभी भी (सातों दिन चौबीसों घंटे) कॉल कर सकते हैं या अपने इलाके के थाने में शिकायत की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय महिला आयोग, एनजीओ आदि की डेस्क क्राइम अगेंस्ट वुमन सेल में हैं.

कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ संरक्षण दिया जाना अनुचित

आज एक निर्वाचित सरकार तक को न्यायालय में ले जाया जा सकता है

गौरव द्विवेदी

विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन के ब्रेट्नवुड में खड़ी की गईं वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की ताकत एक जमाने में बेतरह बढ़ी थी। वे जो चाहें, जैसे चाहें कर सकती थीं और अपनी मनमर्जी के विकास की अवधारणा को दुनियाभर पर थोप सकती थीं। ऐसे में भारत के आम किसानों, आदिवासियों, मछुआरों द्वारा उन्हें खारिज करवा लेना एक ऐतिहासिक जीत के दर्जे का रहा है। वर्ष 1993 में नर्मदा घाटी से विश्वबैंक के वापस भगाए जाने की तर्ज पर हाल में गुजरात की 'टाटा मुंद्रा परियोजना' से विश्वबैंक की सहायक संस्था 'आईएफसी' को भी कानूनी लड़ाई की मार्फत लौटाया गया है।

तीस साल पहले सर्वशक्तिमान विश्वबैंक से उसकी अनुमोदित परियोजना की समीक्षा करने और एक शिकायत तंत्र विकसित करने का आग्रह करना लगभग असंभव था, लेकिन उसी की आर्थिक मदद से नर्मदा पर बनाई जा रही 'सरदार सरोवर परियोजना' के खिलाफ'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (एनबीए) ने ठीक ऐसा ही किया था। अपने संघर्ष के जरिए एनबीए ने विश्वबैंक पर बांध परियोजना की समीक्षा के लिए दबाव बनाया और 1991 में हुई समीक्षा के नतीजे में दो साल बाद बैंक परियोजना से हट गया था। दुनियाभर में बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं से उसके हटने का यह पहला मामला था। इसके बाद 1995 में विश्वबैंक में स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र की स्थापना भी हुई थी।

हाल में, फरवरी 2019 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में, विश्वबैंक के 'अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम' (आईएफसी) को कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ मिले संरक्षण को चुनौती देते हुए 'मच्छीमार अधिकार संघर्ष संगठन' (एमएएसएस) से जुड़े मछुआरों ने फिर से इसी तरह का एक इतिहास रच दिया है। संयोग से इन दोनों आंदोलनों की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। इन मछुआरों को पर्यावरण से जुडे आपराधिक मामलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले 'अर्थ राइट्स इंटरनेशनल' समूह के वकीलों का सहयोग मिला था और इसीलिए वे अमेरिका की सर्वोच्च अदालत में पहुंच पाए थे। एक बेपरवाह कंपनी और लापरवाह फायनेंसरों का सामना करने के बावजूद परियोजना से प्रभावित लोगों ने कभी आस नहीं छोड़ी। आजीविका खतम होने के खतरों, सब तरफ से केस को वापस लेने के दबावों और अन्य कठिनाईयों का सामना करते हुए भी लोग डटे रहे और यह जीत उसी से मिली।

'टाटा मुंद्रा परियोजना' की शुरुआत और उसके विरोध की कहानी लगभग एक दशक पुरानी है। वर्ष 2007 में सरकारी 'पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन' ने करीब 28 हजार 980 करोड़ रुपयों की इस परियोजना को निजी कंपनी 'कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड' (सीजीपीएल- टाटा मुंद्रा) को सौंप दिया था। उसके अगले साल ही 'आईएफसी' ने इस परियोजना को 3150 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता दे दी। परियोजना शुरू होने के कुछ ही साल बाद उससे होने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसानों के चलते मछुआरों ने 2011 में 'आईएफसी' के 'स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र' (सीएओ) में शिकायत दर्ज कराई और नतीजे में 2013 में 'सीएओ' ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में 'सीजीपीएल-टाटा मुंद्रा' द्वारा की जा रही सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों के भारी उल्लंघन को उजागर किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर 2015 में परियोजना प्रभावित मछुआरों ने वाशिंगटन के जिला न्यायालय में 'आईएफसी' के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वर्ष 2016 में आए जिला न्यायालय के फैसले में कहा गया कि चूंकि 'आईएफसी' कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ 'संरक्षण' प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है इसलिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

इस निर्णय के खिलाफ 2018 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई और उसने फरवरी, 2019 में 7-1 के ऐतिहासिक निर्णय के साथ फैसला किया कि 'आईएफसी' जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन कानूनों के खिलाफ 'पूर्ण संरक्षण' का लाभ नहीं ले सकते और उनकी वित्तीय सहायता से चलने वाली परियोजनाओं से होने वाले नुकसानों की भरपाई के लिए उन पर मुकद्दमा ठोका जा सकता है। विश्वबैंक के 'आईएफसी' के अलावा 'एशियाई विकास बैंक' (एडीबी) भी इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन उसके समीक्षा पैनल (सीआरपी) ने भी परियोजना में सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों के भारी उल्लंघन को उजागर किया है। हालांकि 'सीआरपी' के निष्कर्षों पर 'एडीबी' की कार्रवाई अपर्याप्त है।

वर्तमान समय में कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ संरक्षण दिया जाना अनुचित है। आज एक निर्वाचित सरकार तक को न्यायालय में ले जाया जा सकता है, तो फिर विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कैसे 'संरक्षण' की ओट में बच सकते हैं? इस ऐतिहासिक फैसले ने दुनियाभर के लिए ऐसे ऋणदाताओं के खिलाफ आर-पार की कार्रवाई करने का अवसर खोल दिए हैं जिनके निवेश से मानव जाति और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। यह निर्णय वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा दिए गए कर्जों के लिए जिम्मेदार बनाएगा और सुनिश्चित करेगा कि उनके निवेश के कारण कोई नुकसान ना हो सके। इस मामले ने विनाशकारी परियोजनाओं से जूझ रहे जन-आंदोलनों के लिए एक ऐसा अवसर खड़ा कर दिया गया है जिसके चलते वे उनकी मौजूदा रणनीतियों में वित्त और वित्तीय विश्लेषण को शामिल कर सकते हैं।

इस मामले से यह भी साबित होता है कि लोगों के अधिकार समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग के विशेषाधिकारों से ऊपर हैं। ये फैसला इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां एक ओर लोगों के असहमति जाहिर करने के अवसर घटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, वे निजी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की ताकत के सामने असहाय महसूस करते हैं। केवल विश्व बैंक समूह के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए भी ये निर्णय एक स्पष्ट संकेत है कि अगर वे उनके निवेश से लोगों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर विचार नहीं करते तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनको हर्जाना भरना होगा।

(लेखक सेण्टर फॉर फाइनेंसियल एकाउंटेबिलिटी दिल्ली के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।)

वर्तमान समय में कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ संरक्षण दिया जाना अनुचित है। आज एक निर्वाचित सरकार तक को न्यायालय में ले जाया जा सकता है, तो फिर विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कैसे 'संरक्षण' की ओट में बच सकते हैं? इस ऐतिहासिक फैसले ने दुनियाभर के लिए ऐसे ऋणदाताओं के खिलाफ आर-पार की कार्रवाई करने का अवसर खोल दिए हैं जिनके निवेश से मानव जाति और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। यह निर्णय वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा दिए गए कर्जों के लिए जिम्मेदार बनाएगा और सुनिश्चित करेगा कि उनके निवेश के कारण कोई नुकसान ना हो सके। इस मामले ने विनाशकारी परियोजनाओं से जूझ रहे जन-आंदोलनों के लिए एक ऐसा अवसर खड़ा कर दिया गया है जिसके चलते वे उनकी मौजूदा रणनीतियों में वित्त और वित्तीय विश्लेषण को शामिल कर सकते हैं।

क्या है राजद्रोह कानून?

इस कानून को भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत परिभाषित किया गया है. इसके तहत, कोई जो भी बोले या लिखे गए शब्दों से, संकेतों से, दृश्य निरूपण से या दूसरों तरीकों से घृणा या अवमानना पैदा करता है या करने की कोशिश करता है या भारत में कानून सम्मत सरकार के प्रति वैमनस्य को उकसाता है या उकसाने की कोशिश करता है, तो वह सजा का भागी होगा.

भारत में इस कानून की नींव रखने वाले ब्रिटेन ने भी 2009 में अपने यहां राजद्रोह के कानून को खत्म कर दिया. जो लोग इस कानून के पक्ष में नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी दलील है कि इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है. क्या वाकई इस दलील में दम है? चलिए इस सवाल के जवाब के लिए भारत में आजादी से पहले और बाद के कुछ मामलों पर नजर दौड़ाते हैं.

बाल गंगाधर तिलक पर तीन बार चले राजद्रोह के मुकदमे

बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार (1897, 1908 और 1916) में राजद्रोह के मुकदमे चलाए थे. उन पर भारत में ब्रिटिश सरकार की अवमानना करने के आरोप लगे थे. ये आरोप उनके आर्टिकल्स और भाषणों को आधार बनाते हुए तय किए गए थे.

आर्टिकल लिखने पर महात्मा गांधी पर चला राजद्रोह का केस

महात्मा गांधी पर साल 1922 में यंग इंडिया में राजनीतिक रूप से संवेदनशील 3 आर्टिकल लिखने के लिए राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया. उन पर आरोप लगे कि उनके आर्टिकल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने वाले थे. उन्हें 6 साल जेल की सजा भी सुनाई गई.

राजद्रोह को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था, कानून के जरिए लगाव को पैदा या नियमित नहीं किया जा सकता. अगर किसी का सिस्टम या किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है तो वह अपना असंतोष जताने के लिए पूरी तरह आजाद होना चाहिए, जब तक कि वह हिंसा का कारण ना बने

केदारनाथ सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने की थी अहम टिप्पणी

26 मई 1953 को फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह ने बिहार के बेगूसराय में एक भाषण दिया था. राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिए गए उनके इस भाषण के लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया.

1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के मामले में कहा था, ''किसी नागरिक को सरकार की आलोचना करने और उसके खिलाफ बोलने का पूरा हक है, जब तक कि वह हिंसा को बढ़ावा ना दे रहा हो.''

बलवंत सिंह केस भी रहा काफी चर्चा में

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन (31 अक्टूबर 1984) को चंडीगढ़ में बलवंत सिंह नाम के एक शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे. इस मामले में इन दोनों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को राजद्रोह के तहत सजा देने से इनकार कर दिया था.

असीम त्रिवेदी केस में कोर्ट ने पुलिस को लगाई थी फटकार

साल 2012 में कानपुर के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस मामले में त्रिवेदी के खिलाफ राजद्रोह सहित और भी आरोप लगाए गए. त्रिवेदी के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था, आप बिना गंभीरता से सोचे लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? आपने एक कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार किया और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया.

अरुण जेटली के खिलाफ भी लगे राजद्रोह के आरोप

वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ साल 2015 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने राजद्रोह के आरोप लगाए थे. इन आरोपों का आधार नेशनल ज्यूडिशियल कमिशन एक्ट को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना बताई गई. महोबा के सिविल जज अंकित गोयल ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जेटली के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए थे. हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया था.

पिछले कुछ सालों में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह के मामले भी काफी चर्चा में रहे हैं.

आंकड़े भी देते हैं कुछ सवालों के जवाब

राजद्रोह कानून से जुड़े आखिरी आधिकारिक आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वो भी इसे लेकर कई सवालों के जवाब देते दिखते हैं.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक, 2014 से 2016 तक राजद्रोह के मामलों में 179 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 2016 के आखिर तक 70 फीसदी से ज्यादा मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ ही दोष साबित किया जा सका.

भारत में कानूनी शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियां

जैसा कानूनी शिक्षा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानूनी शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि देश के बड़े कॉलेजों की जगह पर हजारों की तादात में छोटे शहरों और मुफस्सिल जगहों के कानूनी शिक्षा के कॉलेजों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।इन शहरों के लॉ कॉलेजों के पास छात्रों को देने के लिए संपूर्ण ढांचा और ट्रेनिंग की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी देश के बड़े लॉ स्कूलों और जाने माने प्राइवेट लॉ कॉलेजों में होती है। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे ही छोटे शहरों के लॉ कॉलेज के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए।यहां पर हम भारत के कानूनी शिक्षा के कुछ बड़ी चुनौतियों की बात कर रहे हैं।

मूट कोर्ट : कानूनी शिक्षा के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देने के लिए मूट कोर्ट का अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है। मूट कोर्ट में भागीदारी की सीमा के कारण कई छात्र अवसर न मिलने की वजह से बहुत ही पीछे रह जाते है। कई कॉलेजों के पास अपने मूट कोर्ट टीम को सलाह देने के लिए कोई निर्देश प्रणाली नहीं है जिस कारण यह छात्र के जीवन में स्थायी योगदान नहीं दे पाता है। आजकल छात्र अंतर्राष्ट्रीय मूट प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। परिणामस्वरूप अपने छात्रों को ट्रेनिंग देकर इस स्तर का तैयार करना कि वे विकसित देशों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े हो सकें, इन लॉ कॉलेजों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

इंटर्नशिप : किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इंटर्नशिप जरूरी है। ये छात्रों को बहुत कुछ नया देखने और प्रोफेशनल कुशलता को सीखने में मदद करता है। हालांकि बहुत से वकील समाज में अपना योगदान देने के लिए भविष्य के वकीलों को शिक्षा और उन्हें ग्रूम करने में योगदान देना चाहते हैं।लेकिन उनमें से ज्यादातर उन्हें इंटर्न के तौर पर नियुक्त करना नहीं चाहते हैं। इसी कारण बहुत से छात्रों को आधारभूत बातें सीखने, रिसर्च और प्रस्तुति कौशलता में कमी हो जाती है। प्राथमिक प्रोफेशनल कुशलता और विषय ज्ञान के बिना एक कानूनी पेशेवर के लिए उसका पेशा एक बोझा बन कर रह जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि छात्रों के बाहर जाकर इंटर्नशिप करने से पहले कॉलेजों में कुछ आधारभूत कौशलता को शामिल किया जाए।

तकनीक :तकनीकी विकास के कारण शिक्षा के क्षेत्र की कायापलट हो गई है। तकनीक का प्रयोग खासतौर पर छोटे शहरों के कॉलेजें में बहुत ही कम है।इसलिए यह कानूनी शिक्षा की क्वालिटी पूरी तरह से प्रभावित करती है। एडवांस तकनीक के प्रयोग की अनुपस्थिति भारत के कानूनी शिक्षा का एक सबसे चुनौती है। यह आवश्यक है कि पढ़ाने की तकनीक में एडवांस उपकरण और तकनीकों का प्रयोग जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, टूल्स जैसे ग्रामर्ली, गूगूल कीप, मीटिंग और रिमांइडर के लिए गूगल कैलंडर आदि के प्रयोग करने की एंडवास कुशलता जरूरी है। इससे ये छात्रों के लिए ज्यादा संवादमूलक और दिलचस्प बन सकता है।

शोधकर्ताओं की कमी : भारत के कानूनी शिक्षा की एक चुनौती है कानून में शोधकर्ताओं की कमी और ऐसे रिसर्च के महत्व की कमी और मौजूदा लॉ स्कूलों में प्रकाशन की कमी है। इससे बौद्धिक रूप से विकास करने वाले वातावरण की अनुपस्थिति का जन्म होता है। रिसर्च बहुत से कार्यों में प्रभावशाली ढंग से मदद कर सकता है जैसे शिक्षण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इससे कानून और न्याय संबंधी बहुत सी चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। अगर कोई दुनिया के सबसे बेहतरीन लॉ स्कूलों के फैक्ल्टी प्रोफाइल पर नजर डालें तो वह यही पाएगा कि वहां पर रिसर्च और प्रकाशनों को अकादमिक में बहुत ही महत्व दिया जाता है। लेकिन भारत में अन्य विषयों की तरह कानूनी क्षेत्र में की जाने वाले रिसर्च को महत्व नहीं दिया जाता।